निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या 44/2023
दायरा दिनांकः—11.07.2023
निर्णय दिनांकः— 23.12.25

उनवान

1. जाफिर खांन आयु 60 वर्ष पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम उदपुरिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामभरोस आयु 45 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी घटटा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राधेश्याम आयु 60 वर्ष पुत्र भोलाराम मीना निवासी घटटा
3. संजय आयु 30 वर्ष पुत्र हरलाल मीना
4. राजाराम आयु 45 वर्ष पुत्र हरलाल
5. पवन आयु 30 वर्ष पुत्र राधेश्याम
6. रामकल्याण आयु 45 वर्ष पुत्र हरलाल जाति मीना पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम घटटा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 23.12.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कृष्णा गोपाल भार्गव — प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 95 की खसरा 76/2 की भूमि 0.9105 हैक्टयर माल सोयम वाके ग्राम उदपुरिया तहसील छबड़ा में स्थित है जिसको प्रार्थी काश्त करता व लगान जमा करता चला आ रहा है। इस जमीन के पास ही जंगलात की जमीन लगी हुई है जिस पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है जंगलात की जमीन प्रार्थी को जमीन के पूर्व में स्थित है जो नाले के बाद है उस जमीन पर जबरदस्ती ट्रेसपासर होकर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है। इस जमीन की पैमाईश भी हो चुकी है उसके बाद भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर वादी के खाते एंव कब्जे काश्त की आराजी पर जबरदस्ती लठ की तागत से कब्जा करना चाहते है। आज एक से एक माह पूर्व तहसीलदार साहब छबड़ा ने टीम गठित कर मय पुलिस जाप्ते के सीमा ज्ञान करवा दिया गया है उसके पश्चात् भी जगलात की जगीन पर कब्जा कर अब प्रार्थी के खाते एव कब्जे काश्त की जगीन पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है जगलात की जगीन प्रार्थी का जमीन के पूर्व मे स्थित है जो नाले के बाद है उस जगीन पर जबरदस्ती ट्रेसपासर होकर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है।

4. यह कि इस जगीन की पैमाईश भी हो चुकी है उसके बाद भी सरकारी

----2

करना चाहते है। कल जब प्रार्थी अपने खाते एव कब्जे शुदा आराजी पर सोयाबीन फसल बोने के लिए गया तो समस्त अप्रार्थीगण लठ लेकर आ गये और कहा कि इस जमीन पर हम कब्जा करेगे मना करोगे जो झूठे एक्ट में फसा देगे उसके मुकदमे में धारा 3 एस०सी०एस०टी० अलावा अन्य झूठे मुकदमो में फसाने की धमकी देते है। अप्रार्थीगण शक्तिशाली व्यक्ति है जो जबरन लठ की ताकत पर प्रार्थीगण के खाते एंव कब्जे की जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है।अप्रार्थीगण ने जबरन लठ् की दम पर प्रार्थी की जमीन पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी भरपाई संभव नही होगी। और प्रार्थी को अनेकोनेक दावो मे उलझना पडेगा। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य लडाई झगडा होने एवं शान्ति भंग होने की पूर्ण संम्भावना है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत 2075–78 खाता संख्या 95 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम उदपुरिया पेश किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात ऐलोट हुई थी तथा ऐलोटी द्वारा उक्त भूमि का बेचान प्रार्थी को किया गया है उक्त भूमि पर ऐलोटमेंट के समय ऐलोटी का भी कब्जा नहीं रहा है तथा प्रार्थी द्वारा खरीदने के पश्चात् प्रार्थी का भी आज तक अपने जीवनकाल में कभी भी कब्जा नही रहा है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन कर अप्रार्थीगण का कब्जा बताकर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जो आधारहीन होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात भूमि खसरा नं. 76/2 वाके ग्राम उदपुरिया पर प्रार्थी द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गयी है पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.02.2024 को तहसीलदार साहब छबडा के आदेश से मौके पर जाकर भूमि खसरा नं. 76/1 की पैमाईश की गई थी जिसमें पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नं. 76/1 के उत्तर दिशा में भूमि खसरा नं. 67/1 व 67 होना बताया है जिसके खातेदारान सत्यानारायण पुत्र अमरलाल मीणा निवासी भीलवाड़ानीचा है तथा भूमि खसरा नं. 67/1 के अधिकतर भाग पर सत्यानारायण का कब्जा होना बताया है एवं दक्षिण दिशा के भाग पर महेन्द्र पुत्र शिवरिया कंजर का कब्जा होना बताया गया है। तथा भूमि खसरा नं. 76/2 पर भी प्रार्थी का कोई कब्जा होना नहीं पाया गया इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नं. 76/2 पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है तथा पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना नहीं बताया गया है। अप्रार्थीगण वन विभाग की जमीन पर काविज होकर काश्त कर रहे है जिसका जुर्माना भी अप्रार्थीगण द्वारा अदा किया जाता है। लेकिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के कब्जे की वन विभाग की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.07.2023 को अप्रार्थीगण के खिलाफ एक रिपोर्ट थाना छबड़ा में पेश की थी जिस पर थाना छवड़ा द्वारा प्रथम सूचना संख्या 307/2023 अंतर्गत धारा 447, 506, 504, 427 में केस दर्ज किया गया था। जिस पर थाना छबड़ा द्वारा अनुसंधान किया गया था तथा अनुसंधान के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा प्रमाणित होना नहीं माना था तथा अप्रार्थीगण का वन विभाग की जमीन पर होना माना था इस कारण थाना छवड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित नहीं किये जाने के कारण उक्त केस में एफ.आर. दी गई थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात पर प्रार्थी का अपने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अप्राथागण न कब्जा कर रखा ह जगलात का जमान प्राथा का जमान क पूर्व मे स्थित है जो नाले के बाद है उस जमीन पर जबरदस्ती ट्रेसपासर होकर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है।

4. यह कि इस जमीन की पैमाईश भी हो चुकी है उसके बाद भी सरकारी

----2

काल में कभी भी कब्जा नहीं रहा है इस कारण प्रार्थी द्वारा कयास के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने से प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 76/2 रकबा 0.9105 है0 ग्राम उदपुरिया तहसील छबडा में स्थित है। जिसे प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की जमीन के पास ही जंगलात की भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है जंगलात की जमीन प्रार्थी की जमीन के पूर्व में स्थित है जो नाले के बाद है जिस पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है जमीन की पैमाईश हो चुकी है फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। तहसीलदार छबडा द्वारा टीम गठित कर मय पुलिस जाप्तें के सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बाद भी जंगलात की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहतें है। अप्रार्थीगण जंगलात की जमीन की आड में प्रार्थी की भूमि पर भी जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी का आवटंन हुई थी। जिस पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन पर अप्रार्थीगण का कब्जा बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया जो आधारहीन है प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 76/2 रकबा 0.9105 है0 भूमि कभी काश्त नही की गई है। हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश से मौके पर जाकर दिनांक 25.02.2024 को पैमाईश की गई थी। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 76/2 के उत्तर दिशा में भूमि खसरा नम्बर 67/1 व 67 होना बताया हे जिसके खातेदार सत्यनारायण पुत्र अमरलाल मीणा निवासी भीलवाडानीचा है खसरा नम्बर 67/1 के अधिकतर भाग पर सत्यनारायण का कब्जा होना बताया है तथा दक्षिण दिशा में महेन्द्र पुत्र शिवरिया कंजर का कब्जा होना बताया है इसलिए खसरा नम्बर 76/1 पर प्रार्थी का कोई कबजा काश्त नही है पटवारी ने अप्रार्थीगण का कब्जा होना नही बताया है अप्रार्थीगण वन विभाग की भूमि पर काविज होकर काश्त कर रहे है जिसका जुर्माना भी अप्रार्थीगण द्वारा अदा किया जाता है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की वन विभाग की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ थाना छबडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई अनुसंधान के दौरान भूमि पर प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा प्रमाणित होना नही माना तथा अप्रार्थीगण का वन विभाग की भूमि पर कब्जा होना माना तथा उक्त केस में एफ.आर दी गई। प्रार्थीगण झुठा एवं मन गढत प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 95 में जाफिर खान पुत्र बाबू खां बतौर खातेदार दर्ज है नकल तहसीलदार छबडा का पत्र क्रमांक 14–19 दिनांक 07.06.2023 के आधार पर खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अप्रार्थीगण ...

पूर्व मे स्थित है जो नाले के बाद है उस जमीन पर जबरदस्ती ट्रेसपासर होकर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है।

4. यह कि इस जमीन की पैमाईश भी हो चुकी है उसके बाद भी सरकारी

रकबा 0.9105 है0 भूमि की गठित टीम द्वारा पैमाईश की गई। तथा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये। नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2025 के अनुसार खसरा नम्बर 76/2 रकबा 0.9105 है0 की भूमि पर अन्य दुसरे लोगो का कब्जा है खसरा नम्बर 76/2 के उत्तर में 67/1 व 67 खसरा नम्बर स्थित है जिसके खातेदार सतयनारायण पुत्र अमरलाल भीलवाडानीचा है जिसका कब्जा खसरा नम्बर 76/2 के अधिकतर भाग पर है तथा दक्षिण दिशा के कुछ भाग पर अतिक्रमी महेन्द्र पुत्र शिवरया जाति बंजारा का कब्जा है महेन्द्र के खातेदार की भूमि होना नही वताया है इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी के हक व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के आधार पर तय होगा परन्तु प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है जंगलात की जमीन ... की जमीन के पूर्व मे स्थित है जो नाले के बाद है उस जमीन पर जबरदस्ती ट्रेसपासर होकर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है।

4. यह कि इस जमीन की पैमाईश भी हो चुकी है उसके बाद भी सरकारी